27/10/2020

वैश्विक स्थिरता, जनसाधारण की सुरक्षा और प्रगतिशील विकास की दृष्टि से ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच भागीदारी संबंधी भाषण

आप सभी को भारत की संसद का अभिवादन।

- पिछले वर्ष जब हम बेलग्रेड, सर्बिया में ब्रिक्स के पांचवें संसदीय फोरम में अंतरसंसदीय संघ की एक सौ इकतालीसवीं बैठक के दौरान मिले थे। तब हमें इसका बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक अप्रत्याशित बीमारी सम्पूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लेगी और इन असाधारण परिस्थितियों में फोरम की अगली बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इन विषम परिस्थितियों में इस बैठक का आयोजन करने के लिए फेडरल असेंबली ऑफ रशिया द्वारा किए गए प्रयासों और उनके दृढ़ निश्चय की मैं सराहना करता हूँ।

- कोविड – 19 महामारी से असंख्य निर्दोष लोगों की दु:खद मृत्यु हुई है, गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वैश्विक एकता और सहयोग की सबसे अधिक ज़रूरत यदि कभी थी, तो वह आज है।

- इसी संदर्भ में, भारत ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच और अधिक सहयोग की बात कर रहा है ताकि अपने नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सके, सतत और समावेशी प्रगतिशील विकास किया जा सके और इसके साथ ही वैश्विक स्थिरता भी सुनिश्चित की जा सके।

- ब्रिक्स के सदस्य देशों की एकजुटता हमारे साझे हितों, साझे सरोकारों और मुक्त परिवेश, समानता, समावेशी दृष्टिकोण, आपसी सहमति और एक दूसरे के लिए लाभकारी सहयोग पर आधारित भागीदारी का परिणाम है। वर्ष 2009 में, येकटेरिनबर्ग में ब्रिक्स संगठन की शुरुआत हुई थी और इसने उत्तरोत्तर प्रगति की है और अब यह एक जिम्मेदार और बहुआयामी मंच के रूप में उभर कर आया है जिसमें विश्व की लगभग 2/5 जनसंख्या और एक तिहाई भूखंड तथा पीपीपी के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद परिलक्षित होते हैं।

- मित्रो, हमारे बीच भले ही कुछ मतभेद हों, लेकिन एक न्यायसंगत और पक्षपात-रहित विश्व जहां गरीबी, भूख और बीमारी के लिए कोई स्थान न हो और जहां प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही समान अवसर प्राप्त हों, यह हमारा एक साझा सपना है । हमारी शक्ति यही है कि अपनी समृद्ध विविधता के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हुए भी हमारी आकांक्षाएं एक समान है। इस एकजुटता के कारण ही वैश्विक स्तर पर हमारी बात में वज़न होता है। इससे हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि कोविड–

19 महामारी के इस समय में हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए मिलजुलकर काम करें।

- वर्तमान संकट ने समाज के एक बडे वर्ग के जीवन और उसकी आजीविका के लिए खतरा पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 71 मिलियन लोगों की भीषण गरीबी से त्रस्त होने की संभावना है।

- ऐसी निराशाजनक स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस वैश्विक महामारी के कारण 2030 के सतत विकास लक्ष्य के एजेंडा को प्राप्त करने के मार्ग में कोई संकट पैदा न हो और हम गरीबी, भुखमरी का पूरी तरह से उन्मूलन करने और एक समावेशी और न्यायसंगत विश्व की स्थापना करने के अपने उद्देश्य की दिशा में कार्य करते रहें।

- मित्रो, ऐसे संकट के समय में गांधीजी का दर्शन 'अंत्योदय से सर्वोदय' जिसका अर्थ है, ''पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास कर सभी का विकास करना'', एक समावेशी तथा न्यायसंगत विश्व की स्थापना करने के लिए हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए ताकि 2030 के एसडीजी एजेंडा की परिकल्पना के दृष्टिगत विकास की दौड़ में कोई पीछे न रह जाए।

- इस बैठक से हमें कोविड 19 के इस अप्रत्याशित संकट का सामना करने हेतु अपने अनुभवों और कार्यनीतियों को साझा करने का अवसर मिला है।

- मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने, कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों, एमएसएमई और अन्य उद्योगों को फिर से खड़ा करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए 260 बिलियन डॉलर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे रही है।

- 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' जैसी हमारी योजनाओं से निर्धन लोगों, किसानों, कामकाजी वर्ग तथा मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण करने में काफी सहायता मिलेगी।

- इस वैश्विक महामारी के फैलने के शुरू के महीनों में हमने तीन बातों अर्थात विशिष्ट पहचान संख्या, बैंक खातों तथा मोबाइल कनेक्शन के आधार पर बहुत तेजी से और सफलतापूर्वक लक्षित लाभार्थियों को नकद धनराशि का अंतरण किया। हमने 'गरीब कल्याण रोजगार योजना' नामक एक व्यापक रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास योजना भी लागू की है।

- मित्रो, पूरे विश्व में अच्छा जीवन जीने और बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत लोगों को अब इस इस वैश्विक महामारी से भी जूझना पड़ रहा है। कानून निर्माता तथा जनप्रतिनिधि के रूप में हम संसद सदस्यों को अपनी सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने और बदलाव लाने वाले विधायी तथा नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है ताकि हम सफलतापूर्वक इस संकट से उबर सकें और जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

- इस संदर्भ में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितम्बर 2020 में हमारी संसद ने अनेक महत्वपूर्ण विधान बनाने के लिए एक इन - पर्सन सत्र आयोजित किया ताकि नागरिकों और चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकर्मियों - कोरोना योद्धाओं - की सुरक्षा

सुनिश्चित की जा सके, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके, कृषि क्षेत्र को मज़बूत किया जा सके और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। **कोविड -19 महामारी के समय में सम्पत्ति के नुक़सान की रोकथाम कर स्थिरता बनाए रखने और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया है। बैंकों के क्रेडिट एक्सपोज़र को कम करने और कारोबार को सुकर बनाने के लिए हमने अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 को भी अधिनियमित किया है, ताकि अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग के प्रावधान द्वारा भारतीय वित्तीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। हमने कृषि क्षेत्र से सम्बंधित कुछ विधान भी अधिनियमित किए हैं ताकि नवीन प्रक्रियाओं द्वारा किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।**

- इसके अतिरिक्त भारत में हमारा मानना है कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं, के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष को और मज़बूत करना है। मेरे सहयोगी, जनप्रतिनिधि और सांसद होने के नाते, मूकदर्शक नहीं बने रह सकते और हमें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद की सभी गतिविधियों का वित्तपोषण समाप्त हो और आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद जिन परिस्थितियों में पनपता है उन पर नियंत्रण किया जाए। ब्रिक्स देशों की संसदों को आतंकवाद की रोकथाम करने वाली संधियों और मानकों के समर्थन में अपने सामूहिक संकल्प की जानकारी प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना चाहिए।

- मान्यवर, ब्रिक्स संसदीय फ़ोरम संसदीय संवाद के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। हालाँकि फ़ोरम की संरचना को अभी संस्था का स्वरूप दिया जाना है। **मैं ब्रिक्स नेताओं की जोहान्सबर्ग घोषणा का स्मरण कराना चाहूँगा जिसमें महिला सांसदों को शामिल कर ब्रिक्स संसदीय संवादों के महत्व पर बल दिया गया था। मैं ब्रिक्स महिला सांसदों की बैठक को वार्षिक फ़ोरम के रूप में संस्थागत स्वरूप देने की आवश्यकता पर भी बल देना चाहता हूँ जैसाकि 2016 में प्रथम ब्रिक्स महिला सांसद फ़ोरम में स्वीकृत जयपुर घोषणा में कहा गया था।**

- मित्रो, 2018 में जेनेवा में एक सौ उनतालीसवीं अंतरसंसदीय संघ की बैठक के दौरान जब हम मिले थे तो हमने ब्रिक्स संसदीय फ़ोरम को औपचारिक रूप देने के लिए सहयोगात्मक रणनीति पर चर्चा की थी। तत्पश्चात्, दक्षिण अफ़्रीका की संसद की पहल पर ब्रिक्स देशों के विधायी निकायों के आशय की बहुपक्षीय घोषणा का प्रारूप सदस्य संसदों को परिचालित किया गया था और हमने भी इस पहल का स्वागत किया था और प्रारूप पर अपनी टिप्पणियाँ भी पेश की थीं। हम इस दिशा में ब्रिक्स संसदीय संवादों को और भी अधिक मज़बूत बनाने की आशा करते हैं और ब्रिक्स संसदीय फ़ोरम को औपचारिक स्वरूप देने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं।

- मित्रो, भारत की संसद का यह मानना है कि जब तक इस मंच को समुचित रूप से संस्थागत स्वरूप प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक घोषणाओं को अंगीकृत करने का कोई गहन प्रभाव, अपील और महत्व नहीं होगा । अतः घोषणा को अंगीकृत करने के संबंध में चर्चा करने के बजाय, हमें आज ब्रिक्स संसदीय मंच को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि यह वास्तव में परिणामोन्मुखी अंतर-संसदीय निकाय के रूप में उभर सके।

- अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं इस अवसर पर ब्रिक्स संसदीय मंच की वर्चुअल बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन करने और ब्रिक्स देशों की संसदों को अपने विचारों और मतों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु फेडरल असेंबली ऑफ रशिया और स्टेट ड्यूमा ऑफ फेडरल असेंबली ऑफ रशिया के चेयरमैन, महामहिम व्यचसलाव वोलोदिन के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा।
- अंत में, मैं विश्व में सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।

आप सभी ने जिस धैर्य और संयम के साथ मेरे विचार सुने हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ!

नमस्कार ! जय हिंद!